<u>मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश स्टेट ब्राडबैन्ड कमेटी (यू0 पी0 एस 0 बी0 सी0) की दिनांक 20 मार्च, 2024 को लोक भवन के द्वितीय तल स्थित उनके सभाकक्ष में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।</u>

<u>उपस्थिति- संलग्नानुसार</u>

(1) उत्तर प्रदेश स्टेट ब्राडबैन्ड कमेटी (यू0पी0एस0बी0सी0) की पूर्व बैठक दिनांक 20 नवम्बर, 2023 में हुई चर्चा के क्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि नेपाल सीमावर्ती जनपद जैसे कि लखीमपुर खीरी, बहराईच, श्रावस्ती इत्यादि क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का नेटवर्क न प्राप्त होकर नेपाल के नेटवर्क की कनेक्टिविटी प्राप्त हो रही है। पूर्व में भी बीएसएनएल तथा दूर संचार विभाग (यूपी पूर्वी) को नेटवर्क व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु वर्तमान में अभी तक नेटवर्क की कनेक्टिविटी में कोई सुधार नहीं हुआ है जोकि सुरक्षा के दृष्टिगत उचित नहीं है, अतः पुनः बीएसएनएल तथा दूर संचार विभाग (यूपी पूर्वी) को सम्बन्धित क्षेत्र की दूर संचार सेवाओं को सुदृढ़ कर अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-दूर संचार विभाग तथा बीएसएनएल)

(2) उप महानिदेशक दूर संचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा Road restoration के सापेक्ष माँग की जा रही है। शुल्क की गणना HDD methodology (अर्थात पिट खोद कर) अथवा Trench methodology का अवलोकन किये बिना ही सभी प्रकार के माँग पत्र (Demand Note) Trench methodology के अनुरूप ही की जा रही है, जिससे सेवा प्रदाताओं पर अत्याधिक व्ययभार का वहन करना पड़ रहा है। अतः इस सम्बन्ध में दूर संचार विभाग द्वारा समुचित निर्देश प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया कि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग अपने सभी निकायों तथा जनपदों के साथ Video Conferencing कर सभी को नियमानुसार माँग पत्र (Demand Note) जारी किये जाने हेतु प्रशिक्षित कराये तथा दूर संचार विभाग को भी बैठक में आमंत्रित किया जाये। जिससे प्रत्यक्ष रूप से दूर संचार विभाग अपनी समस्यों को रखते हुये निराकरण करा सके।

(कार्यवाही-लोक निर्माण विभाग तथा दूर संचार विभाग)

(3) उप महानिदेशक दूर संचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश "राइट आफ वे" पोर्टल पर Underground Optical Fibre Cable सम्बन्धी आवेदन पत्र के सापेक्ष रू0 1,000/- प्रति किलोमीटर की दर से Processing शुल्क जमा किये जाने के उपरान्त Road Cutting Permission हेतु जब लोक निर्माण विभाग के पोर्टल पर आवेदन किया जाता है तब Processing शुल्क की माँग पुनः की जाती है। अतः यह अनुरोध किया गया कि लोक निर्माण विभाग के पोर्टल को बन्द करते हुये केवल "राइट आफ वे" पोर्टल को रखा जाये।

उक्त अनुरोध के संबंध में निर्देशित किया गया कि लोक निर्माण विभाग के पोर्टल पर Road Cutting Permission हेतु Optical Fibre Cable के अतिरिक्त पानी की पाइप लाइन एवं अन्य सेवाओं हेतु आवेदन प्राप्त होते हैं, ऐसी दशा में उसको बन्द नहीं किया जा सकता है, उचित होगा कि लोक निर्माण की Road Cutting Permission सम्बन्धित सेवा का Integration निवेश मित्र के माध्यम से "राइट आफ वे" पोर्टल से करा लिया जाये।

उक्त निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण शीघ्र ही संज्ञान में आया है तथा यह कार्य अगामी "उत्तर प्रदेश स्टेट ब्राडबैन्ड कमेटी" (यू0 पी0 एस 0 बी0 सी0) की बैठक से पूर्व करा लिया जायेगा।

(कार्यवाही-लोक निर्माण विभाग तथा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

(4) उप महानिदेशक दूर संचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि टीएसपी/आईपी को राज्य सरकार की यूटिलिटी डक्ट के उपयोग हेतु अनुमति दी जानी चाहिये, यद्यपि राज्य सरकार द्वारा जब तक डक्ट पालिसी लागू नहीं की जाती है तब तक टीएसपी/आईपी को डक्ट के उपयोग हेतु बैंक गारण्टी जमा किये जाने से छूट एवं अन्य राज्यों के अनुसार 06 रूपये प्रति मीटर प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध करायी जाये।

इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि राज्य में "स्मार्ट सिटी" के अन्तर्गत विकसित किये गये शहरों में डक्ट की व्यवस्था की गई है अतः डक्ट के उपयोग हेतु 06 रूपये प्रति मीटर प्रति वर्ष की दर से टीएसपी/आईपी को उपलब्ध करायें तथा इस बात की Undertaking प्राप्त कर लें यदि भविष्य में जो भी दरें निर्धारित होगी उसके अनुरूप टीएसपी/आईपी द्वारा उनकी प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(कार्यवाही-नगर विकास विभाग)

(5) उप महानिदेशक दूर संचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स द्वारा निर्गत संशोधित राइट आफ वे पालिसी शासनादेश संख्या.1305/78-1-2023-45 आई 0 टी0/2016 दिनांक 10 अगस्त, 2023 को विकास प्राधिकरणों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों (ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को छोड़कर) द्वारा अंगीकार नहीं किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया कि सभी विकास प्राधिकरणों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों शीघ्र अंगीकार कर शासन को अवगत करायें।

(कार्यवाही-समस्त विकास प्राधिकरण तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

(6) उप महानिदेशक दूर संचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जिला स्तर के RoW नोडल अधिकारियों के लिए RoW नीति और RoW पोर्टल पर एक कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए ताकि उन्हें RoW नीति और RoW पोर्टल की कार्यक्षमता पर नवीनतम संशोधनों से अवगत कराया जा सके ताकि अनावश्यक प्रश्नों से बचा जा सके जो RoW नीति के अनुरूप नहीं हैं।

इस सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया कि RoW पोर्टल के संचालन हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया जाये और इसमें सभी संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति शामिल की जाएगी। यह प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रशिक्षण में स्थानीय अधिकारी भौतिक रूप से उपस्थित रहें तथा अन्य लोग वर्चुअल रूप से शामिल हों।

(कार्यवाही-आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग एवं दूर संचार विभाग)

(7) उप महानिदेशक दूर संचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा बिजली पर Green energy open access के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने सम्बन्धी राजपत्र अधिसूचना संख्या-सीजी-डीएल-ई-24052023-246016 (दूसरा संशोधन) नियम 2023 जिसको अभी तक ऊर्जा विभाग द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया है।

Green energy open access के सम्बन्ध में यूपीपीसीएल द्वारा अवगत कराया गया कि इस पर अगामी कार्यवाही यूपीईआरसी द्वारा की जानी प्रस्तावित है तत्क्रम में कार्यवाही हेतु पत्र यूपीपीसीएल

द्वारा यूपीईआरसी को प्रेषित किया जा रहा है।

(कार्यवाही-ऊर्जा विभाग)

(8) उप महानिदेशक दूर संचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि CBuD Mobile app के उपयोगिता बढ़ाये जाने की आवश्यकता है वर्तमान में नमामि गंगे सहित अन्य विभागों द्वारा खुदाई का कार्य कराये जा रहे हैं जिससे भूमिगत अवसंरचना क्षतिग्रस्त हो रही है।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि CBuD ऐप के उपयोग को बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव स्तर से सभी संबंधित विभागों को पत्र (एसओपी सहित) निर्गत किया जाये एवं इसमें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि CBuD ऐप सभी हितधारकों को प्रदान की जाने वाली एक समन्वय सुविधा है। पत्र में सभी जिलों के लिए डीएलटी लॉगिन बनाने की प्रक्रिया के संबंध में निर्देश भी शामिल होने चाहिए। तदनुसार पत्र निर्गत किया जाना है।

(कार्यवाही-आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

(9) उप महानिदेशक दूर संचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 30 जून, 2024 तक 4G संतृप्ति परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य है जिसमें नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र भी शामिल हैं। इसी क्रम में अवगत कराया कि वन विभाग के क्षेत्र में कुल 13 स्थानों पर वन विभाग द्वारा टावर हेतु भूमि उपलब्ध कराई जानी थी जिनमें से पाँच स्थानों पर NBWL द्वारा स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है, इसके अतिरिक्त शेष 08 स्थानों पर टावर स्थापित किये जाने हेतु अभी तक भूमि अप्राप्त है तथा Premium Lease rent एवं Annual lease rent की छूट के साथ भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या.27/2023/2023/78-1-2023-11आई0टी0/2023 दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 का भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया कि बीएसएनएल निरस्त किये गये आवेदनों के सापेक्ष वैकल्पिक स्थान चिन्हित कर पुनः आवेदन की प्रक्रिया करें तथा वन विभाग को निर्देश दिये गये कि आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा निर्गत किये गये शासनादेश संख्या.27/2023/2023/ 78-1-2023-11आई0टी0/2023 दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

(10) बीएसएनएल द्वारा अवगत कराया गया कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक Electricity Connection उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव में से 02.00 लाख से भी अधिक धनराशि के प्रस्ताव की सूची उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड को इस आशय से प्रेषित की गई है कि प्रदान की गई सूची को आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार को प्रेषित कर दिये जाये जिससे अनुमोदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

उक्त के क्रम में निदेशक, वितरण, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया कि आरडीएसएस Scheme के अन्तर्गत भारत सरकार को भेजे गये प्रस्तावों के सापेक्ष पुनरिक्षित प्रस्ताव की मांग की गई है, जिसपर विभागीय स्तर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(कार्यवाही-उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड)

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव।

Digitally Signed by अनिल कुमार सागर
Date: 28-03-2024 10:36:35
Reason: Approved

File No.78-01099/1227/2020-00 0 -1-00

उत्तर प्रदेश शासन
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या-553/78-1-2024-1099/1227/20020
लखनऊः दिनांक 28 मार्च,2024

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, नगर विकास, लोक निर्माण, वन एवं पर्यावरण, आवास एवं शहरी नियोजन,पंचायती राज, ग्राम्य विकास, गृह, ऊर्जा, राजस्व, औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन, माध्यमिक शिक्षा, नाममि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

6-प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अन्य सर्वसंबंधितों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अतल सिंह)
अनु सचिव।

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश स्टेट ब्राडबैण्ड कमेटी (यूपीएसबीसी) की दिनांक 20-03-2024 को लोक भवन, प्रथम तल स्थित उनके सभा कक्ष में आहूत बैठक की उपस्थितः-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0/ ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
1.					
2.					
3.	G S Priyadarshi	CRD	RD		[signature]
4.	Vinod Kumar	Special Secy.	PWD	9415280035	[signature]
5.	Praveen Kumar	SE PWD	PWD	8800478055	[signature]
6.	Sukh Lal Bharti	Secretary	RD	9415192002	[signature]
7.	B.N. Singh	Spl. Secy	RED		[signature]
8.	A.K. Sharma	Director	RED	9319070002	[signature]
9.	I. Ram Singh	SE, RED, HQ.	RED	9453043336	[signature]
10.	Jai Prakash Pandey	J.S. Panchayati Raj	—	9454413886	[signature]
11.	Rohit Tripathi	APD	Basic Education	8527116616	[signature]
12.	Ram Shanker	D.D.	Secondary Education	9455888745	[signature]
13.	अनिल कुमार	विशेष सचिव	राजस्व	9454412444	[signature]

14.	कुलदीपबाबू	संयुक्त सचिव	व्यावसायिक शिक्षा	9454412721	
15.	ज्ञानेन्द्र द्विवेदी	निदेशक वितरण पावरकारपोरेशन	पावरकारपोरेशन	9453234097	
16.	अमित कुमार	अधिशासी अभियंता	पावर कारपोरेशन	9457400525	
17.	उमेश चन्द्र	विशेष सचिव	माध्यमिक शिक्षा	9454413082	
18.	ए.के. मिश्र	CTCP	TCPD	9452153302	
19.	वेदप्रकाश शर्मा	विशेष सचिव	प्राविधिक शिक्षा विभाग	9454411223	
20.	DR. VIKAS ENDU	JD, Health Deptt.	DGMH	9219743100	
21.	Vinod Kumar	विशेष सचिव	चिकि० स्वा० [illegible]	9454413513	
22.	[illegible] त्रिपाठी	विशेष सचिव	आवास	9415459450	
23.	अवधेश कुमार तिवारी	विशेष सचिव	कौशल विकास	9457037802	
24.	Arun Prakash	Spl. Secy	Nagar Vikas	9412358743	
25.	Sujeet Kumar	Spl. Sec. IID	औद्योगिक विकास	9450201476	
26.	Ujjwal kumar	Spl. Secy, MSME	MSME	8127414345	
27.	Shailendra Singh	Director (BH)	DOT-BSNL	9415010345	
28.	A.K. Verma	DGM Mobile	BSNL	9412000529	Abhinav
29.	प्रमोद यादव	मं०प्र०	BSNL	9435713544	
30	बाबूराम	प्रधान मं. प्र०	BSNL	9415100027	

31	अतुल शर्मा	प्रधान महाप्रबंधक	BSNL/BBNL	9415005550	[signature]
32	परमात्मा राय	निदेशक (ग्रामीण)	दूर संचार विभाग उ.प्र. पूर्वी	9868136343	[signature]
33	Rakesh Kumar	DDG(RI)	DoT UPW LSA	9868217061	[signature]
34	A.K. Mishra	DDG(R-I)	UPE	9415011900	[signature]
35	Shubha M. Bhaumik	Add. DG.	UPE UPW.	9868218040	[signature]
36	Vaibhav Shrivastava	Spl Secy	Home		[signature]
37	Yogesh Kumar	V.S. (Spl secy)	Home	9415813860	[signature]
38	Neha Jain	Special Secretary	IT&E	9559774423	[signature]
39					
40					
41					
42					